04.08.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष वाद में लगातार अनुपस्थित रहे हैं। प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा वाद में रुचि नहीं लिया जा रहा है एवं प्रश्नगत जमीन को लेकर कुछ नहीं कहना है। विवादित जमीन को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की संभावना नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई को बन्द किया जाता है।

04/08

अनु० पदा०
पुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:48:43 +05:30
Location: 10.93.79.10